न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 19/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह पुत्र छीतरमल

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह शेखावात** जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 01, राजपुतो का मौहल्ला, ग्राम पारोड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 332701
2. **रतन कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह शेखावात** जाति राजपुत निवासी वार्ड नं. 01, राजपुतो का मौहल्ला ग्राम पारोड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 332701
3. **छाजूराम जांगिड़ पुत्र रामेश्वरलाल** जाति खाती, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 332701

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः 17 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मनोज कुमार वर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह शेखावात, रतन कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह शेखावात** एवं **छाजूराम जांगिड़ पुत्र रामेश्वरलाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रतन कंवर** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 28, वार्ड नं. 01, राजपुतो का मौहल्ला, ग्राम पारोड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

377 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गली छोड़कर हरिसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में महेन्द्र सिंह का मकान एवं दक्षिण दिशा में रघुवीरसिंह का खाली प्लॉट स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 8,80,000/– रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख अस्सी हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **21.10.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **21.10.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **रणजीत सिंह पुत्र पृथ्वीसिंह शेखावात, रतन कंवर पत्नी पृथ्वीसिंह शेखावात** एवं **छाजूराम जांगिड़ पुत्र रामेश्वरलाल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रतन कंवर** के स्वामित्व की अचल सम्पति **आवासीय भूखण्ड पट्टा**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संख्या 28, वार्ड नं. 01, ग्राम पारोड़ा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 377 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गली छोड़कर हरिसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में महेन्द्र सिंह का मकान एवं दक्षिण दिशा में रघुवीरसिंह का खाली प्लॉट स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **17 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर